प्रकाशन हेतु अनुमोदित नहीं है

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

प्रथम अपील विविध सं 196/2019

सुरक्षित किया गया :-- 15-12-2022

पारित किया गया :--05-1-2023

श्रीमती. कुंती चक्रधारी पति गजेंद्र @गजानंद , लगभग 25 वर्ष, निवासी तुकाराम चक्रधारी, पुलगांव, चौक दुर्ग, जिला दुर्ग छ.ग.

---- अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

गजेंद्र @गजानंद चक्रधारी पिता छोटे लाल, 29 वर्ष,निवासी गाँव कोलियारी, तहसील तथा जिला धमतरी,छ.ग.

---उत्तरवादी /वादी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :---श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता।

माननीय श्री गौतम भादुड़ी,न्यायमूर्ति

माननीय श्री एन. के. चंद्रवंशी,न्यायमूर्ति

सीएवी निर्णय

एन. के. चंद्रवंशी, न्यायाधीश ,के अनुसार

1.यह अपील अपीलार्थी/पत्नी द्वारा न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 67 ए/2017 में पारित दिनांक 30-4-2019 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी/पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1955' कहा जाएगा) की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर सिविल वाद को प्रतिवादी/पति के पक्ष में स्वीकार किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति का विवाह 12–12–2015 को हुआ था। विवाह के डेढ़ महीने बाद पत्नी छोटी–छोटी बातों पर झगड़ने लगी और पति के माता–पिता को अपमानित करने लगी। वह घरेलू कार्यों में कोई रुचि नहीं लेती थी।पति के माता–पिता वृद्ध हैं जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।अपीलार्थी की माता भी पैरालिसिस से पीड़ित है, इसलिए वह अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती थी।पत्नी कहती थी कि वह नौकर नहीं है जो उसके माता–पिता की देखभाल करेगी और उनके लिए खाना बनाएगी। समझाने पर वह उसे झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी। पति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके बावजूद पत्नी द्वारा की गई मांग के बावजूद जब पति उसे कीमती सामान नहीं दे सका तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा उसका अपमान किया तथा कभी–कभी उस पर मार पीट भी किया।अलग रहने वाला उसका बड़ा भाई जब उसके माता–पिता से मिलने उसके घर आया तो पत्नी ने उसका सम्मान नहीं किया। यह आगे अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी पत्नी सदैव किसी अन्य व्यक्ति के साथ मोबाइल फोन पर बात करती थी, उसे समझाने के बावजूद, उसने अपना आचरण नहीं बदला।इसी कारण एक बार पति ने उसका मोबाइल फोन जमीन पर पटक–पटक कर तोड़ दिया था। इसलिए वह ससुराल छोड़ने की तैयारी करने लगी और पति के माता–पिता के समझाने पर उसने उनका अपमान किया।पत्नी ने अपनी बहन की नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए पति पर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया था तथा उसके द्वारा किए गए झगड़े के कारण पति ने किसी तरह 1 लाख रुपए का प्रबंध कर लिया था, इसके बावजूद उसने अपने ससुर के चरित्र पर झूठा आरोप लगा दिया। पति ने पत्नी के माता–पिता व समाज के अन्य लोगों को बुलाकर उसे समझाया तथा फरवरी 2017 में उसके माता–पिता उसे अपने मायके ले गए। इसके बाद, पूछे जाने के बावजूद वह वापस नहीं आई तथा उसने शर्त रखी कि यदि पति अपने माता–पिता से सभी संबंध तोड़कर अलग रहेगा, तभी वह उसके साथ रहेगी।इस संबंध में सामाजिक बैठक भी बुलाई गई थी, वहां भी पत्नी ने उपरोक्त शर्त पूरी होने तक उनकी कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया।पत्नी के इस अहंकार के कारण पति वैवाहिक सुख से वंचित हो गया है, इसलिए उसने पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु अनुतोष हेतु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत विद्वान पारिवारिक न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्युत्तर में अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है तथा तर्क दिया है कि उसके पति द्वारा उसके माता–पिता से मोटरसाइकिल दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई तथा उसके ससुराल वालों ने पति को इसके लिए उकसाया। आगे बताया कि दिनांक 18–2–2017 को उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसी दिन उसके पिता उसे उसके मायके पुलगांव, दुर्ग ले आए।24–8–2017 को उसने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दुर्ग को परिवाद किया था । कुछ दिनों के बाद, प्रत्यर्थी को उसे वापस लाने के

लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं आया। 18–2–2017 के पश्चात् उत्तरवादी उसे वापस लेने कभी नहीं आया, उसने कभी भी पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने से इनकार नहीं किया, हालांकि, उसने पति से अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए कहा है और वह अपने ससुर के अश्लील कृत्य के कारण डरी हुई है। अपीलकर्ता/पत्नी ने आगे तर्क दिया है कि अगर वह उत्तरवादी के घर जाती है, तो उसके ससुराल वाले समस्याएं पैदा करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः, आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

4.विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, विवाद्यक निर्धारित किया गया और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने तथा पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि बिना किसी उचित बहाने के, पत्नी ने पति को वैवाहिक आनंद से वंचित किया है, इसलिए उसने पति के पक्ष में फैसला सुनाया है, इसलिए, अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अधिनियम 1955 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, यदि पति–पत्नी में से कोई एक बिना किसी उचित कारण के दूसरे पति–पत्नी के साथ रहना छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री का हकदार है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता/पत्नी ने साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित कर दिया है कि प्रतिवादी/पति ने न केवल दहेज की मांग के लिए उसे परेशान किया, बल्कि उसके चरित्र पर भी सवाल उठाया, सिर्फ इसलिए कि वह मोबाइल फोन पर बात करती थी।उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी/पत्नी के साथ उसके ससुर ने 18–2–2017 को छेड़छाड़ भी की थी। इस संबंध में समाज के सदस्यों की बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रत्यर्थी के पिता ने अपने इस अश्लील व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। इस संबंध में अपीलार्थी ने 24–8–2017 को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को परिवाद भी किया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/पति के साथ न जुड़ने के लिए अपीलार्थी/पत्नी के पक्ष में उचित बहाने हैं, लेकिन विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखे बिना प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया है।अतः, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री निराधार, विकृत एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है, जो आपस्त किये जाने योग्य है।

6.इसके विपरीत, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर पारित की गई है और यह उचित भी है, इसलिए इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय, विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7.अभिवचन की पुष्टि करने के लिए, उत्तरवादी/पति गजेंद्र चक्रधारी ने स्वयं को ए डब्लू 1, अपने भाई काशीराम चक्रधारी को ए डब्लू 2, चैतराम चक्रधारी को ए डब्लू 3, और भोगीलाल चक्रधारी को ए डब्लू 4, जो कि दुर्ग चक्रधारी कुम्हार समाज के उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, के रूप में परीक्षण करवाया गया है।

8. दूसरी ओर, बचाव में अपीलकर्ता/पत्नी श्रीमती. कुंती चक्रधारी ने स्वयं को एन ए डब्लू 1, अपने मामा फेंकूराम पांडे को एन ए डब्लू2 और रवि कुमार चक्रधारी ने एन ए डब्लू 3 के रूप में परीक्षण करवाया है।

9.प्रत्यर्थी/पति गजेन्द्र उर्फ गजानंद चक्रधारी (एडब्लू 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने आवेदन में बताए गए सभी तथ्यों को दोहराया कि विवाह के डेढ़ माह बाद से ही पत्नी छोटी–छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। वह घर का काम नहीं करती थी और न ही उसके बीमार माता–पिता की देखभाल करती थी, बल्कि वह उनके साथ और उसके बड़े भाई के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। यहां तक कि वह प्रत्यर्थी के साथ गाली–गलौज भी करती थी और कई बार मारपीट भी करती थी। उसने यह भी बयान दिया कि पत्नी हमेशा मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती थी। उसने यह भी बयान दिया कि पत्नी की छोटी बहन की नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए मांगे जाने पर उसने किसी तरह 1 लाख रुपए दिए, फिर वह झगड़ा करने लगी, 2 दिन तक खाना नहीं खाया और पति के पिता द्वारा समझाने पर उसने उसके विरुद्ध छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया।इस संबंध में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया।उनके कथन का उनके भाई काशीराम चक्रधारी (एडब्ल्यू 2), चैत्रम चक्रधारी (एडब्ल्यू 3) तथा भोगीराम चक्रधारी (एडब्ल्यू 4) ने भी समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी कुंती चक्रधारी (एनएडब्लू 1) ने अपने कथन में कहा है कि विवाह के 2 महीने बाद ही उसके पति और उसके माता–पिता ने उसे मोटरसाइकिल न दिए जाने का ताना देकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबकि उसने अपने तर्क में कहा है कि मोटरसाइकिल की मांग करने पर उसके साथ क्रूरता की गई। अपने कथन में उसने केवल अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध उपरोक्त क्रूरता का आरोप लगाया है, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने बड़े देवर (जेठ) और ननद (जेठानी) के विरुद्ध दहेज की मांग के संबंध में भी आरोप लगाया है, इस प्रकार दहेज की मांग के लिए कथित उत्पीड़न के संबंध में भौतिक विरोधाभास है।

11.यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अपीलकर्ता/पत्नी ने स्वयं अपने तर्क और बयान में कहा है कि पति के पास पहले से ही मोटरसाइकिल थी और उसके उपरोक्त कथन अर्थात मोटरसाइकिल की मांग के लिए उत्पीड़न, का समर्थन उसके गवाहों अर्थात् फेंकूराम पांडे (एनएडब्लू 2) और रवि कुमार चक्रधारी (एनएडब्लू 3) द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि फेंकूराम पांडे (एनएडब्लू 2) ने अपने बयान में कहा है कि पति द्वारा कुछ विवाद उठाया गया था कि शादी में दी गई सोने की चेन नकली

सोने से बनी थी, लेकिन इस तथ्य का न तो अपीलकर्ता द्वारा मुख्य परीक्षा में तर्क दिया गया है और न ही कहा गया है।इसलिए, केवल अपीलकर्ता/पत्नी के इस कथन के आधार पर कि उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल की मांग के कारण उसके साथ क्रूरता की गई, विश्वसनीय नहीं पाया गया।

12.जहाँ तक उसके चरित्र के विरुद्ध अभिकथित आरोप है संबंधित, उत्तरवादी पति ने उसके चरित्र के संबंध में अपनी अभिवचन या न्यायालयीन कथन में हेतुई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि उसने केवल अनुरोध किया है/कहा है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मोबाइल फोन पर घंटों बात करने में व्यस्त रही है।इस तरह के बयान को पत्नी के चरित्र के बारे में आरोप नहीं कहा जा सकता है। फेनकुरम पांडे (एन. ए. डब्ल्यू. 2) ने कंडिका 18 में प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी/पति ने पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत के बारे में समझाने तथा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए कहा था, तथा जिस पर पत्नी ने उससे तथा उसकी माँ से ऐसी गलती नहीं दोहराने का वादा किया था।इस प्रकार, अपीलार्थी हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन कि उत्तरवादी ने अपने चरित्र को समान किया था, सही नहीं पाया जाता है, क्योंकि यदि पत्नी लंबे समय तक किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करने में व्यस्त रहती है, जिसे पति या परिवार के अन्य सदस्य नहीं जानते हैं, तो उत्तरवादी हेतु आपत्ति करना तथा उसे ऐसा करने से रोकना काफी आम बात है।इसलिए, हम इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति हेतु प्रभावित नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.पत्नी (एनएडब्ल्यू 1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उत्तरवादी/पति ने उसके सामने स्वीकार किया था कि उसका किसी अन्य लड़की के साथ संबंध है, परंतु न तो पति से जिरह में इस संबंध में कोई सवाल पूछा गया है और न ही उसके अन्य साक्षीयों ने उसका समर्थन किया है कि ऐसा कोई स्वीकार सामाजिक बैठक में पति द्वारा किया गया था, इसलिए, केवल अपीलार्थी के एकल बयान के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरवादी ने उपरोक्त तथ्य को कहा था या स्वीकार किया था।

14.अपीलार्थी/पत्नी (एन.ए.डब्लू. 1) ने अपने ससुर के विरुद्ध आरोप लगाया है कि दिनांक 18–2–2017 को जब वह घर में अकेली थी, तब उसके ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके कथन से यह भी स्पष्ट है कि उसके द्वारा अपने माता–पिता से परिवाद किये जाने पर उसी दिन अर्थात् 18–2–2017 को उसके माता–पिता समाज के अन्य सदस्यों, जिनमें फेंकूराम पाण्डेय (एन.ए.डब्लू. 2), रवि कुमार चक्रधारी (एन.ए.डब्लू. 3) शामिल थे, के साथ उसके पति के घर आये तथा बैठक हुई, जिसमें उसके ससुर ने अपनी गलती स्वीकार की तथा क्षमा भी मांगी। इस तथ्य का समर्थन एन.ए.डब्लू. 2 तथा एन.ए.डब्लू. 3 द्वारा भी किया गया है, किन्तु इन

साक्षीयों ने अपने कथन में यह भी कहा है कि प्रतिवादी के पिता ने आरोपों का खंडन किया है तथा क्षमा नहीं मांगी है। फेंकूराम पांडे (एनएडब्लू 2) ने भी पैरा 13 में अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता के ससुर ने कहा था कि 18–2–2017 की कथित घटना झूठी थी। रवि कुमार चक्रधारी (एनएडब्लू 3) ने भी पैरा 14 में अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी और उसके पिता ने छेड़छाड़ के आरोप से इनकार किया था।उपरोक्त दोनों साक्षीयों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी/पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवादी एवं उसके पिता ने प्रतिवादी/पति के पिता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर लिखित माफी मांगने से इंकार कर दिया था। इसलिए वह (प्रतिवादी/पति) पत्नी को अपने साथ नहीं ले गए।यद्यपि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी एवं उसके माता–पिता के विरूद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसके ससुर द्वारा छेड़छाड़ करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को परिवाद प्र.डी–1–सी दी थी, लेकिन यह परिवाद 24–8–2017 को की गई थी, जबकि कथित छेड़छाड़ 18–2–2017 को की गई थी इसके पूर्व प्रत्यर्थी/पति ने भी पुलिस अधीक्षक, धमतरी को परिवाद प्र.पी–1–सी दी थी कि उसकी पत्नी कुंती उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसा सकती है।दस्तावेज प्र.पी–2–सी डाक रसीद की फोटोकॉपी है तथा प्र.पी–3–सी से प्र.पी–7–सी मेडिकल दस्तावेज एवं विवाह कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि ससुर द्वारा कथित छेड़छाड़ के संबंध में रिपोर्ट कथित घटना के 6 महीने से अधिक समय बाद बनाई गई थी, इससे पहले, उत्तरवादी ने पहले ही पुलिस अधीक्षक, धमतरी को परिवाद कर दी थी कि उन्हें दहेज / उत्पीड़न के मामले में फंसाया जा सकता है क्योंकि उसके पिता को भी उसके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए आरोपी बनाया गया है।प्रत्यर्थी और उसके साक्षीयों ने अपने पिता के विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से इनकार किया है और अपीलकर्ता के दोनों साक्षीयों ने भी अपने कथन में कहा है कि प्रत्यर्थी और उसके पिता ने कहा है कि कथित आरोप झूठा है, हालांकि दोनों बचाव पक्ष के गवाहों ने पहले कहा है कि पति के पिता ने पहले भी इसके लिए माफी मांगी थी। इसलिए, दोनों बचाव पक्ष के गवाहों के उपरोक्त विरोधाभासी और कमजोर प्रकार के साक्ष्य पर विचार करते हुए, केवल प्रत्यर्थी/पत्नी के बयान के आधार पर, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

16.चूंकि अपीलार्थी/पत्नी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उत्तरवादी/पति और उसके पिता द्वारा इस संबंध में लिखित माफी न देना अनुचित नहीं माना जा सकता है।इस प्रकार, अपीलार्थी/पत्नी द्वारा पति की कंपनी में शामिल नहीं होने हेतु बताए गए कारण साबित नहीं हुए हैं।

17.अपीलकर्ता/पत्नी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह प्रतिवादी के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह स्वयं उसे वापस लाने नहीं आया था.अब चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला सुनाया गया है, इसलिए उसे अपने वैवाहिक संबंधों को बहाल करना चाहिए। परंतु, प्रतिपरीक्षा में जब उससे पूछा गया कि "आज भी प्रतिवादी/पति आपको संयुक्त परिवार से अलग अपने साथ रखना चाहता है, क्या आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं?"', उसने जवाब दिया :–– 'नहीं'।कंडिका 26 में दिए गए कथन के अनुसार उसे केवल ससुर से ही समस्या थी, तथा पति से भी समस्या थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में उसे कोई समस्या नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्नी को उत्तरवादी/पति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए।

18.अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हमें विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि, विकृति या अवैधता नहीं पाते हैं।इसलिए, अपील योग्यता से रहित है तथा इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।तदनुसार एक आज्ञप्ति तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

सही /–
(एन. के. चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur